

# YELLOW BULLETIN OF OPERATING SAFETY

EAST CENTRAL RAILWAY

(October -2022 - ISSUE NO. - 52)

## Contains Irregularities/Deficiencies detected during inspections

1.	At Bharpura Pahleza Ghat Station'- Sectional TI/SEE inspection done on 21.09.2022. Irregularities pointed out by TI have not been noticed by SM for compliance till date of inspection on 22.10.2022.
2.	Private No. Book, in use at Madhubani, was printed locally by SPJ division, but it is not as per the prescribed format. Provisions of SR in regard to use of Private No. book are not being complied with.
3.	No signal failure memo book has been supplied to Madhubani station. It is being issued on plain paper without any serial number detail.
4.	It is a common practice at Madhubani station that SMs are not signing the form T/369 (3b) in full which is violation of the provisions of SR.
5.	Some of the important registers could not be made available for inspection by on duty SM as it was in custody of SS/ Madhubani, who was not available.
6.	At Sarai station, S & T key box in the SM room was in unlocked. Condition and there was no lock available to the purpose.
7.	LC 49/C/T at Ghoswar station - Private No. book sheet was not available with emergency key resister.
8.	LC 34A/Special at RXL- Railway Act Board was not available at LC.
9.	The caution order given by Barauni station was not in proper order. The caution imposed between Pahaleja Ghat and Patliputra was found printed in reverse order which creates huge confusion in the mind of loco pilot.
10.	Jiwadhara (JDR) Station was found running without porter due to shortage of manpower in cadre. This is serious issue and has direct bearing on Safety. All right signal to passing trains was being acknowledged from one side only.
11.	Staff Gradation resister was not available at Muktapur Station.
12.	In the last six months only three night inspections were done by SS/Muktapur station.

### SPECIAL ATTENTION TO BE PAID:-

- Ensure that employee deputed/deployed to work as Gateman has undergone proper training and holds a valid competency certificate.
- Ensure that communication between Gateman and Station Master is in working order and exchange of private number is being done and recorded as per stipulation made in SWR.
- Ensure exchanging all right signal from the earmarked place i.e. Yellow Circle.
- Ensure issuance of caution order as per rules and proper maintenance of caution order register.

"Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow colour printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention be sent to this office for onward action."

(B. K. Das)

COM/G/ECR

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505

Dated-16.11.2022.

### Copy to:-

- PCOM & PCSO- for kind information please.
- DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for information & necessary action please.
- Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
- ZRTI MFP & BHULI for kind information please.

परिचालन संरक्षा का येलो बुलेटिन

पूर्व मध्य रेल

(अक्टूबर -2022- अंक सं.- 52)

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए.

1	भरपुरा पहलेजा घाट स्टेशन पर दिनांक 21.09.2022 को खंड यातायात निरीक्षक/सोनपुर द्वारा निरीक्षण किया गया। यातायात निरीक्षक द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं को दिनांक 22.10.2022 तक स्टेशन अधीक्षक द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।
2	मधुबनी स्टेशन पर उपयोग में आने वाली निजी अंक (प्राइवेट नंबर) स्थानीय स्तर पर समस्तीपुर मण्डल द्वारा मुद्रित की गई, जो निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है। निजी अंक (प्राइवेट नंबर) के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।
3	मधुबनी स्टेशन पर सिगनल विफलता मेमो पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। यह बिना किसी मुद्रित क्रम संख्या के सादे कागज पर जारी किया जा रहा है।
4	मधुबनी स्टेशन पर स्टेशन मास्टरों द्वारा फॉर्म टी 369/(3b) पर पूर्ण हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है। जो एसआर के प्रावधानों का उल्लंघन है।
5	कुछ महत्वपूर्ण रजिस्टर, स्टेशन अधीक्षक/मधुबनी के पास में होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।
6	सराय स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के रूम में एस एंड टी चाभी बॉक्स खुला पाया गया। लॉक करने हेतु लॉक भी उपलब्ध नहीं था।
7	घोंसवार स्टेशन के 49/सी/टी गेट- पर इमरजेंसी चाभी रजिस्टर के साथ निजी अंक (प्राइवेट नंबर) उपलब्ध नहीं था।
8	रक्सौल स्टेशन पर 34ए/स्पेशल समपार फाटक के पास रेलवे एक्ट बोर्ड नहीं लगा पाया गया।
9	बरौनी स्टेशन द्वारा दिया गया सतर्कता आदेश उचित क्रम में नहीं था। पहलेजा घाट और पाटलिपुत्र स्टेशनों के बीच लगाई गई सतर्कता आदेश उल्टे क्रम में छपी हुई पाई गई, जिससे लोको पायलट के मन में भारी भ्रम पैदा होता है।
10	समूह-घ संवर्ग में कर्मचारीयो की कमी होने के कारण जिवधारा स्टेशन पर पोर्टर कार्यरत नहीं था। जिसके कारण रन थ्रू गाड़ियों को ऑल राइट सिगनल केवल एक तरफ से दिया जा रहा था जो संरक्षा के लिहाज से उचित नहीं हैं।
11	मुक्तापुर स्टेशन पर स्टाफ ग्रेडिंग रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।
12	पिछले छः महीनों में स्टेशन अधीक्षक/मुक्तापुर स्टेशन के द्वारा केवल तीन रात्रि निरीक्षण किया गया।


विशेष रूप से ध्यान दें :

- (i) सुनिश्चित करें कि गेटमैन में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारी का उचित प्रशिक्षण हुआ है और उसके पास वैद्य सक्षमता प्रमाण पत्र है।



- (ii) सुनिश्चित करें कि स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन के बीच संचार काम कर रहा है एवं प्राइवेट अंक का आदान प्रदान कर इसका रिकार्ड स्टेशन कार्य नियमावली में वर्णित अनुसार किया जा रहा है।
- (iii) आलराइट सिगनल का आदान प्रदान विनिर्दिष्ट स्थान यथा 'येलो सर्किल' से किया जाना सुनिश्चित करें।
- (iv) कॉशन आर्डर का नियमानुसार जारी किया जाना एवं कॉशन आर्डर रजिस्टर का ठीक से भरा जाना सुनिश्चित करें।

“मंडलों को सलाह दी जाती है की सभी संबंधितों को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं /विसंगतियों /विशेष ध्यान के अनुपालन के संबंध में इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु सूचित करें।”

  
16.11.22  
(बी के दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक(सा)

हाजीपुर

दिनांक 16.11.2022

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलो बुलेटिन/ 87 /505,

वितरण:

- 1 प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ ।
2. मंडल रेल प्रबंधक .डी.डी. यू, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. वरि.मं.परि.प्रबंधक डी.डी यू, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।
4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सादर सूचनार्थ ।